संख्या- 05/2018/5471/71-2-17-पी-30/2016

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 12 जनवरी, 2018

विषय- संस्थान के रेडियोलाजी विभाग हेतु 64 स्लाइस सी0टी0 क्रय किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-पीजीआई/एमएम/रेडियो/16-17/01/427, दिनांक 24 जुलाई, 2017 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या-3592/71-2-17-पी-30/2016, दिनांक 04-1-2017 एवं शासनादेश संख्या-897/71-2-17-पी-30/2016, दिनांक 23-3-2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संस्थान के रेडियोलाजी विभाग हेतु 64 स्लाइस सी0टी0 क्रय की प्रशासकीय स्वीकृति (रू0 716.00 लाख) एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 में शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष बढी हुई अन्तर की धनराशि रू0 166.00 लाख को वर्ष 2016-17 में उपकरणों के क्रय हेतु स्वीकृत कुल धनराशि के सापेक्ष समायोजित किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है-

1) संस्थान द्वारा प्रश्नगत उपकरण की आवश्यकता तथा मानक स्वयं सुनिश्चित किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि क्रय किये जा रहे उपकरण/साज-सज्जा आवश्यक एवं मानकानुसार है।
2) उपकरणों/साज-सज्जा का क्रय वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5, भाग-1, उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल तथा उद्योग विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले क्रय सम्बन्धी आदेशों में दी गयी व्यवस्था/प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार विचलन वित्तीय अनियामितता का द्योतक होगा, जिसके लिए संस्थान पूर्व रूप से उत्तरदायी होगें।
3) प्रश्नगत उपकरणों की स्थापना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि इनके रखने हेतु पर्याप्त स्थान एवं इनके संचालन हेतु दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध है।
4) धनराशि की स्वीकृति/आहरण/व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03 अगस्त, 2017 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5) उपकरणों हेतु क्रय प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के उपरान्त ही धनराशि का आवश्यकतानुसार आहरण किया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/1714/दस-2017, दिनांक 09 जनवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ड0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 05/2018/5758(1)/71-2-17-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in